प्रारूप-'द-3'

परिवहन निगम मुख्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक : 2681 रोडी/14-29रोडी/विविध/99 दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

1- प्रधान प्रबन्धक (के0कार्य0),
उ0प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।

2- समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः अनुशासनिक कार्यवाहियों का त्वरित/समयबद्ध निस्तारण।

उपर्युक्त विषयक परिपत्र संख्या-2016रोडी/14-79रोडी/विविध/2007 दिनांक 06.08.2014 परिपत्र संख्या- 2312(1)रोडी/14-79रोडी/विविध/2007 दिनांक 11.09.2014 एवं परिपत्र संख्या-2566रोडी/14-29रोडी/विविध/99 दिनांक 24.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित अनुशासनिक प्रकरणों का निस्तारण कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं कि आपके अधीनस्थ क्षेत्र/इकाई में किसी अधिकारी के पास एक वर्ष से अधिक का कोई अनुशासनिक प्रकरण लम्बित नहीं है, किन्तु खेद का विषय है कि अभी तक आपके स्तर से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 19.08.2014 को आयोजित निदेशक मण्डल की 200 वीं बैठक में वर्ष 2014-15 के प्रथम त्रैमास (अपैल, 2014 से जून, 2014) में अनुशासनिक प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति आख्या एंवं दिनांक 09.06.2014 को निदेशक मण्डल की 199 वीं बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या के अवलोकनोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों के पास एक वर्ष से अधिक प्रकरण लम्बित है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

कृपया निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 10.10.2014 तक प्रत्येक दशा में उक्त आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि आपके अधीनस्थ किसी अधिकारी के पास एक वर्ष से अधिक पुराना अनुशासनिक प्रकरण लम्बित नहीं है। उक्त निर्धारित तिथि तक प्रमाण पत्र प्राप्त न होने पर निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार अनुशासनिक कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने हेतु दोषी मानते हुए कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

1/10/14.
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

समसख्यक/समदिनांकित

प्रतिलिपिः- मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यायल, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1/10/14.
(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

G.Lal Latter (14)-- 202.

Downloaded from www.upsrtc.com